राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3350/2023

पिंकी गोडवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमति नन्दा मेघानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अजमेर।
5. श्री प्रफूल चौबीसा, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 15.12.2023
सुनवाई की दिनांक : 27.08.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता
समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.12.2023 (अनुलग्नक–1) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया था। अपीलार्थी जिला संवर्ग में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में नारी निकेतन, अजमेर में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। आलौच्य निलंबन आदेश दिनांक 15.12.2023 सचिव द्वारा जारी किया गया है, जो सक्षम प्राधिकारी नहीं होने से आलौच्य आदेश कानूनन अपास्त योग्य है। आलौच्य आदेश मनमाने ढंग से आरोप लगाया गया है कि अधीनस्थ कर्मचारी श्रीमती नंदा मेघानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को बार–बार निर्देश देने के बावजूद 08 महीने का भुगतान नहीं किया गया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नंदा मेघानी को अपीलार्थी के कार्यालय में आदेश दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थानांतरित किया गया था, लेकिन नंदा मेघानी ने उक्त आदेश की अनुपालन में दिनांक 10.01.2023 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए अतिरिक्त निदेशक सतर्कता और प्रशासन द्वारा 10.01.2023 को पत्र जारी किया और इस पत्र के जारी होने के बावजूद नंदा मेघानी ने दिनांक 30.01.2023 तक अपीलार्थी के कार्यालय में 01 महीने की अवधि के बाद भी कार्यभार ग्रहण

किया तब पत्र दिनांक 30.01.2023 जारी किया गया। श्रीमती मेघानी ने 30.01.2023 को कार्यग्रहण किया। (अनुलग्नक–3 एवं 4)। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी पर श्रीमती नंदा मेघानी के वेतन का भुगतान विगत 08 माह से जारी न करने का आरोप लगाया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मार्च 2023 में ही अपीलार्थी के कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया था, इसलिए मार्च 2023 से उक्त नंदा मेघानी का वेतन अपीलार्थी के कार्यालय से जारी नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी के कार्यालय से पदमुक्ति के पश्चात उक्त अभ्यर्थी श्रीमती नंदा मेघानी के भुगतान की सम्पूर्ण व्यवस्था अन्य कार्यालय से की गई, जिसके लिए निदेशालय को पत्र लिखे गए, किन्तु इसके बावजूद अन्य कार्यालय अर्थात संयुक्त निदेशक, अजमेर के कार्यालय से भुगतान करने के आदेश माह अक्टूबर, 2023 में ही किए गए। मेघानी ने नियमित रूप से कार्य जारी नहीं रखा, एवं बिना छुट्टी स्वीकृत किए भी जानबूझकर अनुपस्थित रहीं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई और अपीलार्थी द्वारा उक्त उम्मीदवार श्रीमती नंदा मेघानी के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तावित किया गया (अनुलग्नक–5)। उक्त अभ्यर्थी नंदा मेघानी भी 51 दिनों की अवधि के लिए सामूहिक अवकाश पर रहीं और वित्त विभाग के यू.ओ. नोट दिनांक 18.10.2023 (अनुलग्नक–6) के अनुसार अपीलार्थी ने श्रीमती नंदा मेघानी को असाधारण अवकाश की अनुमति प्रदान की। चूंकि वह नियमित रूप से काम नहीं कर रही थीं, इसलिए पिछले लगभग 09 महीनों में से श्रीमती नंदा मेघानी की उपस्थिति लगभग 60 दिनों की ही रही। श्रीमती नंदा मेघानी को अपीलार्थी से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ तथा वे अनुशासनहीनता के कारण बिना किसी सूचना के अपीलार्थी के कार्यालय से अनुपस्थित रहीं तथा संयुक्त निदेशक के कार्यालय में उपस्थित रहीं तथा संयुक्त निदेशक ने भी उन्हें अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी, जो कानून के अनुरूप नहीं था। आरोप पत्र जारी करने और असाधारण अवकाश की स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद, विभाग द्वारा अपीलार्थी पर आरोप पत्र और असाधारण अवकाश स्वीकृति आदेश वापस लेने का दबाव डाला गया। यह न केवल अप्रत्यक्ष रूप से और किसी अन्य अधिकारी अर्थात उप निदेशक के माध्यम से किया गया मौखिक संवाद था, बल्कि अपीलार्थी को नंदा मेघानी के असाधारण अवकाश को अर्जित अवकाश में परिवर्तित करने का निर्देश दिया गया था, जो वित्त विभाग यू.ओ. के अनुसार नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी के लिए आरोप पत्र वापस लेना संभव नहीं था क्योंकि प्रस्ताव भेजने के बाद अपीलार्थी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, बल्कि आरोप पत्र के प्रस्ताव को केवल निदेशक द्वारा ही अस्वीकार

किया जा सकता था। उसका वेतन कानून के अनुसार आहरित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उपस्थिति विवरण के अनुसार लगभग 51 दिनों की अवधि असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत की गई थी और शेष अवधि के लिए वह जानबूझकर अनुपस्थित थी। इसके अलावा, मार्च 2023 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए मार्च 2023 से कोई वेतन जारी नहीं किया जाना संभव नही था। अपीलार्थी पर 08 माह का वेतन भुगतान करने के लिए भी दबाव डाला गया और अपीलार्थी से यह भी कहा गया कि असाधारण अवकाश को भी ड्यूटी अवकाश माना जाए। नियमों के अनुसार अपीलार्थी के लिए ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 3 की दुर्भावना और पूर्वाग्रह के रूप में सामने आया है। अपीलार्थी को श्रीमती नंदा मेघानी को फरवरी, 2023 का वेतन जारी करना है, लेकिन श्रीमती नंदा मेघानी ने पिछले कार्यालय का अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र और सेवा रिकॉर्ड और पेमैनेजर आईडी प्रस्तुत नहीं की है, इसे केवल जुलाई और अगस्त 2023 के महीने में उपलब्ध कराया जा सकता है, उस समय लेखा लिपिक के रूप में यह श्रीमती नंदा मेघानी का कर्तव्य था। बिल आदि तैयार करने के लिए अपीलार्थी ने निर्देश दिया था, लेकिन अपीलार्थी के बार–बार निर्देशों के बावजूद बिल तैयार नहीं किए गए और दिनांक 14.09.2023 के बाद भी अनुपस्थित रहने के बाद उसे बिल तैयार करने के निर्देश दिए गए और नोटिस भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। जब अपीलार्थी ने श्रीमती नंदा मेघानी के फरवरी, 2023 के वेतन आहरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया, तो पाया गया कि पेमैनेजर और खाता विवरण गलत थे, जिसके कारण आईडी निष्क्रिय थी और इन विवरणों को श्रीमती नंदा मेघानी द्वारा स्वयं ठीक किया जाना था, जिसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सक्रिय आईडी के बिना तकनीकी रूप से भुगतान नहीं निकाला जा सकता है और न ही इसे किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके लिए सक्रिय आईडी की आवश्यकता होती है, जो श्रीमती नंदा मेघानी द्वारा किया जाना था। उपरोक्त बैंक विवरण को कर्मचारी श्रीमती नंदा मेघानी के व्यक्तिगत आईडी द्वारा ही सही किया जाना था और यह कार्य केवल उनके द्वारा ही किया जाना था, फिर भी उच्च अधिकारियों ने श्रीमती नंदा मेघानी को अनुचित संरक्षण प्रदान किया है और उन्हें निर्देश देने के बजाय अपीलार्थी पर इसके लिए दबाव डाला गया और यह निर्देश दिया गया कि श्रीमती नंदा मेघानी को कार्यालय में बुलाया जाए और बैंक विवरण को सही किया जाए, इसका अनुपालन भी किया गया लेकिन श्रीमती नंदा मेघानी जानबूझकर कार्यालय नहीं

आईं और अपने बैंक विवरण को अपडेट नहीं किया, इसकी सूचना भी श्रीमती नंदा मेघानी को नोटिस भेजकर उच्च अधिकारियों को दी गई। इन सबके बावजूद कर्मचारी नंदा मेघानी की आईडी अपीलार्थी के डीडीओ लॉगिन को प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, जिसके लिए अपीलार्थी ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ पत्राचार भी किया और कोषागार और लेखा कार्यालय ने भी अनुस्मारक भेजे और दिनांक 15.12.2023 को कर्मचारी की आईडी से डीडीओ लॉगिन परिलक्षित हुआ और 04:31 बजे फरवरी, 2023 के महीने का वेतन भुगतान के लिए कोषागार के लिए भेजा गया और उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई और इस प्रकार अपीलार्थी के स्तर पर न तो श्रीमती नंदा मेघानी के लिए कोई वेतन लंबित था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 के पूर्वाग्रह और द्वेष के कारण कार्यालय समय के बाद भी 07:00 बजे शाम को अधिकार क्षेत्र और क्षमता से बाहर निलंबन का आदेश पारित किया गया था, जो हस्तक्षेप करने योग्य है। अपीलार्थी ने दिनांक 14.12.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक को भी एक पत्र भेजा था। अपीलार्थी ने दिनांक 08.11.2023 (अनुलग्नक–9) द्वारा अपीलार्थी ने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नंदा मेघानी का भुगतान जारी करने के लिए उप निदेशक को एक पत्र भेजा। इसके बाद शाम को लगभग 07:02:54 बजे, जिस दिन नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और किसी भी मंत्री के पास यह विभाग नहीं था, अपीलार्थी को मनमाने ढंग से यह आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया कि अधीनस्थ कर्मचारी श्रीमती नंदा मेघानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को बार–बार निर्देश देने के बावजूद 08 महीने का भुगतान नहीं किया गया और भुगतान की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया गया और उच्च प्राधिकारी के निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करके अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मार्च 2023 से अक्टूबर 2023 तक उक्त उम्मीदवार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नंदा मेघानी को अलग–अलग नोटिस जारी किए गए थे (अनुलग्नक–11 से 16)। अपीलार्थी के कार्यालय से प्राप्त होने वाले वेतन का भुगतान दिनांक 15.12.2023 को सायं 04:31 बजे किया जा चुका था। फिर भी पत्र दिनांक 15.12.2023 द्वारा अपर निदेशक ने पत्र भेजा कि श्रीमती नंदा मेघानी का भुगतान पिछले 08–09 महीनों से नहीं किया जा रहा है और यह पत्र संयुक्त निदेशक को इसलिए लिखा गया था क्योंकि शेष भुगतान उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अजमेर कार्यालय से किया जाना था क्योंकि विनम्र अपीलार्थी के कार्यालय में केवल फरवरी 2023 का भुगतान शेष था (अनुलग्नक–17)। पत्र दिनांक 15.12.2023 प्रत्यर्थी विभाग को ईमेल के माध्यम से

और व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा गया था और टेलीफोन पर भी सूचित किया गया था। तत्पश्चात आदेश दिनांक 15.12.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश सायं 07:02:54 बजे पारित किया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आक्षेपित कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नहीं, बल्कि आधिकारिक अभिलेखों की जाँच किए बिना जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त, कॉलम संख्या 5 के अनुसार, मामले को प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मामले की जाँच निदेशक द्वारा की जानी थी, लेकिन निदेशक ने स्वयं कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि सचिव ने स्वयं ही कार्यवाही की, जिसके लिए अभिलेखों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि वे अति. प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नंदा मेघानी का पक्ष लेकर विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे थे (अनुलग्नक–18)। नंदा मेघानी अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहीं और इसलिए इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक–19) जारी किया गया और उन्हें बार–बार उपस्थित होने के लिए कहा गया तथा विभिन्न पत्र भी जारी किए गए। अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसे लंबे समय तक बिना किसी मंत्रालयिक कर्मचारी के ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाए तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक नारीक निकेतन अजमेर के रूप में कार्य करने की अनुमति दें।

प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के भाग 4 में निलंबन की विधि एवं अधिकारिता के संबंध में उल्लेख है। नियम 13 में स्पष्ट है की नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर सकेगा। जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है। इस प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उसे शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नियमों के अनुरूप निलंबित किया गया है। जो नियम अनुसार सही है। नियुक्ति अधिकारी के अवकाश पर होने से निलंबन आदेश

नियुक्ति अधिकारी से उच्चस्तर से शासन सचिव द्वारा जो सरकार के प्रतिनिधि होते है, जारी किया जा सकता है (Veera Ram Vs state of Rajasthan 2011 WLC (UC)484 Raj) इसलिए जारी किया गया निलंबन आदेश नियमानुसार एवं वैध है इसके साथ ही निलंबन के पहले नोटिस देना भी आवश्यक नहीं है निलंबन कोई दण्ड नहीं है जब तक दुर्भावना का आरोप स्थापित नहीं होता है। निलंबन आदेश दिनांक 15.12.2023 में कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है तथा आदेश नियमों का अनुसरण करते हुए जारी किया गया है तथा जारी आदेश में कारणों का भी स्पष्ट उल्लेख है। अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों के द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी अनावश्यक रूप से श्रीमती नन्दा मेघानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का अकारण वेतन रोके जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा निलंबित किया गया। पूर्व कार्यालय अधीक्षक, बालिका गृह, अजमेर के पत्र दिनांक 30.01.2023 को मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त करने के उपरान्त श्रीमती मेघानी द्वारा अपीलार्थी के कार्यालय अधीक्षक, राजकीय नारी निकेतन, अजमेर में दिनांक 30.01.2023 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यग्रहण किया (अनुलग्नक–आर/1), जो कार्यालय अपीलार्थी के नियंत्रणाधीन था एवं वेतन आहरण भी अपीलार्थी के नियंत्रण में था इसके बावजूद भी फरवरी, 2023 का वेतन, आहरण नहीं किया गया जहाँ तक पद समाप्ति का प्रश्न है, उक्त पद विभागीय आदेश दिनांक 03.03.2023 के द्वारा समाप्त किया गया था परन्तु माह फरवरी, 2023 का वेतन जिसके लिए श्रीमती नन्दा मेघानी हकदार थी तथा इसी कार्यालय से भुगतान होना था, का भुगतान दिसम्बर, 2023 तक भी निर्देशों के बावूजद भी बिना किसी कारण जानबूझकर अपीलार्थी द्वारा नहीं करवाया गया है तथा इसके बाद ही माह मार्च, 2023 से उक्त का भुगतान नियमानुसार एस.एस.ओ. आई. डी. पे–मैनेजर पर संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को स्थानांतरित करने के बाद ही शेष माह का वेतन भुगतान किया जा सकता था जिससे लिए अपीलार्थी ही उत्तरदायी है जिसने 8–9 माह की देरी के बाद भी माह फरवरी, 2023 का वेतन नहीं बनाया, न ही आई.डी. स्थानांतरित की। अपीलार्थी द्वारा श्रीमती नन्दा मेधानी के विरूद्ध नियम 16 के अन्तर्गत (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के आरोप व प्रारूप आरोप पत्र निदेशालय को भिजवाये गये थे जिसके प्रत्युत्तर स्वरूप निदेशालय द्वारा दिनांक 01.12.2023 को अपीलार्थी को निर्देशित किया गया था कि श्रीमती नन्दा मेघानी को 8–9 माह के बकाया वेतन भुगतान एवं इनकी उपस्थिति, सेवा पुस्तिका व रिकॉर्ड संयुक्त निदेशक, सान्याअवि अजमेर को भिजवाये ताकि उक्त संबंध मे अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकें। इस संबंध में अपीलार्थी को पूर्व में भी निर्देशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा कोई

कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया (अनुलग्नक–आर/2)। वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2023 एवं संशोधित आदेश दिनांक 07.08.2023 जारी कर सामूहिक अवकाश की अवधि के लिये उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का आदेश जारी किये थे इस प्रकार दिनांक 21.06.2023 को वित्त विभाग का आदेश जारी हो जाने पर भी अपीलार्थी द्वारा श्रीमती नन्दा मेघानी का 51 दिवसीय सामूहिक अवकाश असाधारण अवकाश के रूप में दिनांक 18.10.2023 को स्वीकृत किया गया। निदेशालय द्वारा दिनांक 09.11.2023 को वित्त विभाग के यू.ओ. नोट दिनांक 21.06.2023 के क्रम में अपीलार्थी को लिखा गया था कि आप द्वारा श्रीमती नन्दा मेघानी के संदर्भ में सामुहिक आवकाश के लिये असाधारण आवकाश स्वीकृत किये गये है जबकि भुख्यालय पर भी कार्मिक के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये गये है अतः उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर सूचित करे परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि अपीलार्थी को दी जाने वाली चार्जशीट में यह भी एक आरोप प्रस्तावित किया गया है (अनुलग्नक–आर/3 व 4)। अपीलार्थी द्वारा श्रीमती नन्दा मेघानी की अनुपस्थिति के संबंध मे समय–समय पर निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया और न ही स्वयं के स्तर से नोटिस आदि जारी करने की कार्यवाही की गई। पद समाप्त हो जाने के कारण प्रशासनिक उच्चधिकारियों के निर्देश पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत श्रीमती नन्दा मेघानी को उसी शहर मे कार्यालय होने से उप निदेशक, सान्याअवि, अजमेर मे कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है। यह आदेश स्वेच्छाधारी नहीं है। उपनिदेशक सान्याअवि, अजमेर द्वारा निर्देशानुसार जारी आदेश दिनांक 12.09.2023 की प्रत्ति अपीलार्थी अधीक्षक, नारी निकेतन, अजमेर को भी प्रेषित की गई थी जिसकी पालना में अपीलार्थी का दायित्व था कि वह आदेश की पालना में श्रीमती मेघानी को कार्यमुक्त कर उप निदेशक, सान्याअवि अजमेर मे उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करती परन्तु अपीलार्थी के द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गई है। अपीलार्थी को दिनांक 02.11.2023 एवं उसके तत्पश्चात् दिनांक 01.12.2023 को पत्र लिखा गया कि श्रीमती मेघानी का 08 माह का बकाया वेतन का भुगतान उनकी उपस्थिति/सेवा पुस्तिका एवं रिकॉर्ड कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को नहीं भिजवाये जाने से वेतन भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पा रही है इसलिए निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त कार्यवाही शीघ्र करें, साथ ही कार्यवाही ना किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने के हेतु भी लिखा गया था। दिनांक 09.11.2023 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उक्त नोटिस के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा उपस्थिति / सेवा अभिलेख

रिकॉर्ड संबंधित कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–आर/5)। नियुक्ति प्राधिकारी एवं उससे उच्चअधिकारी (प्रशासनिक विभाग के मुखिया) को सीसीए नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने का अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.12.2023 को निदेशालय से पत्र लिखा जाना कहा गया है अपीलार्थी द्वारा उपस्थिति रिकॉर्ड, सेवापुस्तिका संबंधित कार्यालय को भिजवाये जाने एवं पे–मेनेजर पर आ रही समस्याओं के समाधान हेतु अधीनस्थ कार्यालय एवं मुख्यालय द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने एवं निर्देशों की अवहेलना के फलस्वरूप ही निलंबन की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अपीलार्थी द्वारा श्रीमती मेघानी के बकाया वेतन से संबंधित रिकॉर्ड एवं अनिवार्य कार्यवाही समय पर निर्देशो के उपरान्त भी संपादित ना किये जाने के परिणामस्वरूप निलंबन आदेश जारी किया गया है। स्टेडिंग ऑर्डर दिनांक 27.01.2022 में राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अधिकारी (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये कार्मिक विभाग से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक नहीं है बल्कि राज्य सेवा के अधिकारी के प्रकरण में कार्मिक विभाग से अनुमोदन आवश्यक है (अनुलग्नक–आर/6)। रूल्स ऑफ बिजनेस में सिर्फ वहीं प्रकरण माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर अनुमोदन हेतु भेज जाने आवश्यक हैं जिसमें उन्हें कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जाना हो। कार्मिक विभाग को सिर्फ राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रकरण ही प्रेषित किए जाते हैं क्योंकि कार्मिक (क 3) विभाग के परिपत्र दिनांक 19 सितंबर 2013 के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संपादित करने हेतु कार्मिक विभाग ही सक्षम है। क्योंकि अपचारी कार्मिक राज्य सेवा का अधिकारी नहीं है इसलिए उसके प्रकरण को मंत्री महोदय के अनुमोदन से कार्मिक विभाग को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है (अनुलग्नक–आर/7)। अपीलार्थी से पूर्व में कार्यरत अधिकारी द्वारा उनके समय में क्रय सामग्री के बिलों पर भण्डार प्रविष्टि कर दी गई थी तथा कुछ बिल पूर्व अधिकारी द्वारा कोषालय को भिजवा दिये गये थे जो आक्षेप के साथ लौटाये गये थे जिनका निराकरण अपीलार्थी के स्तर निराकरण किया जाना था। श्री अम्बालाल ने माह अगस्त, 2023 में ही उनके यहा कार्यग्रहण कर लिया था तथा श्रीमती मेघानी ने सितंबर, 2023 में जिला कार्यालय में कार्य करने के आदेश दिये गये थे। मंत्रालयिक कर्मचारियों के राज्यव्यापी आंदोलन एवं कार्य बहिष्कार का प्रभाव सभी कार्यालयों में समान था। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन कर अनुशीलन एवं मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनांक 15.12.2023 को चुनौती दी गई है और यह कथन किया गया है कि आलौच्य आदेश सक्षम स्तर से जारी नहीं है और संबंधित मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। अधिकरण के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या आलौच्य निलम्बन आदेश नियमानुसार जारी हुआ है एवं सक्षम स्तर से जारी हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी नहीं है और अपीलार्थी का नियुक्ति अधिकारी निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। ऐसी दशा में नियुक्ती प्राधिकारी अपीलार्थी को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है परंतु सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च अधिकारी, जिसके अधीन नियुक्ति अधिकारी है, भी निलबंन आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। आलौच्य निलम्बन आदेश शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है जिसके अधीन अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी हैं। अतः ऐसी दशा में आलौच्य निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना पाया जाता है। निलंबन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया गया है। सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत किसी लोक सेवक को उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने अथवा लंबित होने की दशा में निलंबन की कार्यवाही की जा सकती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.12.2023 द्वारा सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के अतंर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। अतः ऐसी दशा में हम यह पाते है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी निलंबन आदेश सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुरूप है और सक्षम स्तर से जारी किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप करने को कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी बलहीन एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है एवं अधिकरण द्वारा इस अपील में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश प्रावकाश (Vacate) किया जाता है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(विकास सीताराम जी भाले)
अध्यक्ष